

15.10.19

युजिवादी प्र. 1 का प्रथम दफा व गा.पत्र-1/14
CPC कायदा के अन्तर्गत किना गणना वार्षिक
आर के वार्ड इतिहास-1 को रीतिपूर्वक
केन वार्ड प्रथम अंक 2.12.19 कायदा
है

D.No-9283
15-11-19

02/12/19

उपस्थित
अधीनस्थ (11-1)

2.12.19 पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय के अंदर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक (2.12.19) को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

13/12/20

वार्षिक आर के वार्ड इतिहास-1 को रीतिपूर्वक
नोटे तज्जुम के अंतर्गत आर के वार्ड प्रथम अंक
वार्ड इतिहास का प्रथम अंक 3-3-20 को
पेश है

13/01/2020

उपस्थित
अधीनस्थ (11-1)

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

3.3.20


उपखण्ड अधिकारी वार्ड बाबलुद तापीली उप
नहीं युजिवादी प्र. 1 ने उपरोक्त अन्तर्गत
धारा 151 (8) के अन्तर्गत किना कि उपखण्ड

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

में वापि उपस्थित नहीं है किन्तु उ लिखा
 है उ वकालत में प्रतिपक्ष पेशा करने का इतिहास
 है कि प्रतिपक्ष पेशा करने हेतु अपन
 दिना जका पत्रावली का अनुमोदन
 किया बुद्धि में प्रतिपक्ष पेशा नहीं किया
 जाता है वापि को विधिगत आवश्यकताओं को
 जका वापि तब जा उनके प्रतिनिधि
 उपस्थित नहीं है। प्रतिपक्षी के साथ कोई
 प्रतिपक्ष पेशा नहीं किया है। प्रतिपक्षी को
 वादग्रस्त करणी के तदनुषंग में कोई
 अनुमोदन प्राप्त करना है तो वह तब तक
 वापि पेशा करने हेतु स्वतंत्र है किना वापि
 अपन वैदवी अपन हाजरी में जारी किया
 जाता है पत्रावली में प्राप्त हुआ है वह
 न कर दे वह है व फाकिल दफ्तार है


 उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद (अजमेर)

